



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सलूम्बर

(वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, जिला एवं सेशन न्यायालय), सलूम्बर
Email- disa43salumber@gmail.com Helpline No.-9216088351



कमांक : पीएलवी / 2026 / ५२

दिनांक : 07.09.2026

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के परिपत्र कमांक : 12 दिनांक 23 09 2025, पत्रांक 15539-582 दिनांक 29.11.2025 के द्वारा जारी SOP (Rajasthan State Legal Services Authority Directives For Efficient and Managed Utilization of Para-Legal Volunteers for DSLAs and TLSCs in Rajasthan 2025) तथा पत्रांक : RLISA/2026/878-921 दिनांक 16.01.2026 एवं माननीय रालसा का पत्र कमांक एफ-2(34-ए)/रालसा/डी एस-1/20000 दिनांक 28.07.2026 के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जिला मुख्यालय सलूम्बर एवं तालुका विधिक सेवा समिति, सराडा पर Para-Legal Volunteers (अधिकार मित्र) का चयन कर नवीन पैनल तैयार करने बाबत विज्ञप्ति कमांक : जिविसेप्रा/2026/652 दिनांक 14.08.2026 द्वारा योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किये गये। बाद साक्षात्कार निम्न योग्य अभ्यर्थियों का Para-Legal Volunteers (अधिकार मित्र) के पैनल में निम्नानुसार चयन किया जाता है-

FOR HQ [DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, SALUMBER]

S.N	NAME	FATHER'S/HUSBAND NAME	GENDER	CATEGORY	MOBILE NO.
1	DIMPAL SALVI	DEVKINANDAN	F	SC	8949649474
2	KAUSHALYA MEENA	SURAJMAL MEENA	F	ST	9929626162
3	RAHUL SALVI	MANGILAL	M	SC	6367508117
4	BALUMUKUND SHARMA	CHAMPALAL SHARMA	M	GEN	7728883273
5	LOKESH SALVI	MOHANLAL	M	SC	7023033452

FOR TALUKA LEGAL SERVICES COMMITTEE, SARADA [SALUMBER]

S.N	NAME	FATHER'S/HUSBAND NAME	GENDER	CATEGORY	MOBILE NO.
1	NARENDRA KUMAR SALVI	HAMERA JI	M	SC	9511300389
2	MANISHA KUMARI PRAJAPAT	DEVILAL JI PRAJAPAT	F	OBC	8094361130

Para-Legal Volunteers (अधिकार मित्र) निम्न शर्तों के अध्यधीन कार्यरत रहेंगे-

- 1-Para-Legal Volunteers (अधिकार मित्र) का कार्य उक्त एक वर्ष की अवधि में संतोषजनक पाये जाने पर, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् गठित पैनल में उनको पुनः संयोजित किया जा सकेगा। इस बाबत माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सलूम्बर का निर्णय अंतिम होगा।
- 2-चयनित समस्त Para-Legal Volunteers (अधिकार मित्र) को प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बंध में इस कार्यालय द्वारा पृथक से सूचित कर दिया जाएगा। उनकी नियुक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के अध्यधीन होगी। अनुपस्थित रहने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उनको सेवा से हटाया जा सकेगा और अन्य योग्य अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जा सकेगा।
- 3-चयनित समस्त Para-Legal Volunteers (अधिकार मित्र) को माननीय रालसा, जयपुर से प्राप्त निर्देशानुसार रॉस्टर के आधार पर कार्य आवंटित किया जाएगा तथा आवंटित कार्य की एवज में माननीय रालसा, जयपुर द्वारा नियत मानदेय (फिक्स वेतन) के अतिरिक्त, अन्य किसी प्रकार का अन्य वेतन, भत्ता, पारिश्रमिक या पेंसेन नहीं दिया जाएगा।
- 4-Para-Legal Volunteers (अधिकार मित्र) को नियुक्ति/हटाने सम्बंधी समस्त अधिकार माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सलूम्बर के पास सुरक्षित रहेंगे।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला सलूम्बर

कमांक : स्था./2026/ 26-30

दिनांक : 07.09.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है-

1- माननीय सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

2- अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, सराडा, जिला सलूमबर।

3- श्री/श्रीमती/सुश्री

4- सिस्टम ऑफीसर/असिस्टेंट, सलूमबर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश जिला न्यायालय, सलूमबर की वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।

5- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला न्यायालय सलूमबर।


07.9.26
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला सलूमबर